

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

दिनांक :- 1//04/2016

क्रमांक :- एफ 7/डी०री०/2016/ 3 158-69 निमित्त :-

मै० एपेक्स बिल्डटेक,

ए-८२६, इन्द्राविहार, कोय।

विषय :- भूखण्ड सं० ३ (कॉर्नर) बालाजी मार्केट, कोटा के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों के परीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव पर भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 14-01-16 में लिये गए निर्णय के क्रम में निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं :-

- यह स्वीकृति राजस्थान भवन विनियम 2013(संशोधित) तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अध्याधीन रहेगी तथा इसके प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही मान्य रहेगी।
- 2. राजस्थान भवन विनियम 2013(संशोधित) तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुझाधारी की रहेगी। स्वीकृति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, भूल एवं लोप को विनियम के प्रावधानों में छूट के रूप में नहीं लिया जा सकेगा। विनियम एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्माण कराने का दायित्व अनुझाधारी का रहेगा। भवन निर्माण स्वीकृति नगर नियोजन शाखा द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर प्रस्तावानुसार हुई है तथापि यदि स्वीकृति में विनियम एवम् अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार को में क्रिया। भवन निर्माण स्वीकृति नगर नियोजन शाखा द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर प्रस्तावानुसार हुई है तथापि यदि स्वीकृति में विनियम एवम् अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार कोई त्रुटि, भूल एवं लोप है, तो भवन निर्माण अनुझाधारी का दायित्व रहेगा कि उस बारे में न्यास कार्यालय का ध्यान आकर्षित करे। त्रुटि, भूल एवं लोप के आधार पर निर्माण मान्य नहीं होगा।
- 3. प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार स्टिल्ट + 6 मंजिल की स्वीकृति चाही गई है। न्यास की नगर नियोजन शाखा द्वारा आपके प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रस्तावानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक 431-442 दिनांक 27/04/06 व 710-717 दिनांक 21-09-2010 के अनुसार इस समय स्टिल्ट + प्रथम तल (अधिकतम 8.0 मी. में से) की स्वीकृति भवन विनियम 2013(संशोधित) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही जारी की जा रही है। यह स्वीकृति भवन विनियम 2013(संशोधित) एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही नान्य रहेगी।
- प्रयम चरण का निर्माण पूर्ण होने पर जांच उपरांत निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पाये जाने पर द्वितीय चरण में स्टिटल्ट + 18 मी. ऊंचाई में स्टिल्ट + 6 मंजिल की स्वीकृति जारी की जावेगी।
- 5. 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की स्वीकृति अग्निशमन की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् जारी की जावेगी।
- 6. भवन विनियम 2013 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के विरुद्ध निर्माण किये जाने पर ''राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की घारा 91 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को न्यास द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
- पार्किंग सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था मानचित्र में भूतल (स्टिल्ट) पर दर्शाये अनुसार की जागी होगी तथा आप द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र अनुसार पार्किंग क्षेत्र को अन्य उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
- पार्किंग, लिफ्ट इत्यादी सुविधा क्षेत्र के रख-रखाव की व्यवस्था आपको सुनिश्चित् करनी होगी।
- 9. पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा, न ही इसका बेचान किया जावेगा। इसे पार्किंग हेतु खुला रखा जावेगा। अन्यथा न्यास आपके खर्चे पर बिना पूर्व सूचना पार्किंग क्षेत्र में किये गए निर्माण को ध्वस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- 10. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल हिजाईन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। निम्न हस्ताक्षरकर्ता/न्यास किसी भी स्थिति में इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियन्ता की देख-रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित वास्तुविद् द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं दिये गए अण्डरटेकिंग के अनुसार भूकम्प से सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था की जानी होगी।
- 11. यह स्वीकृति भवन निर्माण के लिये दी जा रही है। किसी भी न्यायालय अथवा वाद में इसे भूखण्ड स्वामित्व साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
- 12. निर्माण पश्चात् भवन को उपयोग में लेने से पूर्व नगर निगम से अग्निशमन हेतु स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर न्यास से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- 13. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जलस्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हारवेस्टिंग व्यवस्था का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।
- 14. अनुझा प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर अथवा कार्य प्रारंभ करने के छ माह के अन्दर जो भी कम हो, अनुझाधारी को भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के आशय की सूचना न्यास को देनी होगी।

рррррр (73)

- 15. प्लिब्ध लेवल पर निर्माण के पश्चात् न्यास को सूचित करना होगा। न्यास के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा नियुक्त उप/सहायक नगर नियोजक राग और पर निर्माण की जंग नियोजक द्वारा मौके पर निर्माण की जांच उपरान्त प्लिन्थ का निर्माण स्वीकृत मानचित्र एवं भवन विनियम 2013(संशोधित) एवं विधिक अन्य संसंगत पावधानों के अन्यपर प्राप्ते —ो विधिक अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पाये जाने पर पत्र जारी करने के उपरान्त आगामी निर्माण भवन विनियम 2013 एवं अन्य सरंगत विधिक प्रावधानों अनुसार किए जाने अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों अनुसार किया जा सकेगा।
- 17. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये अनुसार पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये कम से कम एक वक्ष के अनुणान में 6 सीटर से अधिक उंगर्ज का जाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये कम से कम वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक उंचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे एवं मानचित्र में दर्शाये अनुसार हरियाली क्षेत्र का भारत्यक घर से विकास जिला जातर से जा आवश्यक रूप से विकास किया जाना होगा।
- १८. भवन की संरचना, डिजाईन नियमानुसार/विहित अनुसार भूकम्परोधी होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में स्ट्रक्वरल इन्जिनियर से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्ट्रक्चरल इन्जिनियर जिसके द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान हेतु घोषणां पत्र एवं रचनात्मक सुरक्षा हेतु घोषणां की गयी है, उसी इन्जिनियर से भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् यह शपथ पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा कि भवन का निर्माण भूकम्परोधी प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के पार्ट VI के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। उसके पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
- 19. समय-समय पर राज्य सरकार/न्यास द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।
- 20. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.10(154)न.वि.वि./3/80 दिनांक 04-11-2008 की पालना की जानी होगी।
- 21. मानचित्र में दर्शाये गए अनुसार सौर उर्जा का प्रावधान किया जाना होगा।
- 22. आवेदक मोके पर विहित अनुसार सूचना प्रदर्शित करेगा एवं अभिलेख रखेगा तथा इस स्वीकृति पत्र की प्रति भी रखेगा।
- 23. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लेट्स/निवास इकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उवया जा सके।
- 24. वर्तमान में सेस हेतु राशि अनुमानित तौर पर ली गई है। यह सेस अधिनियम एवं नियम तथा इस सम्बन्ध में जारी विधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी, जिस हेतु आवेदक को अन्तर राशि जमा करानी होगी। आवेदक को सेस अधिनियम एवं नियम तथा इस सम्बन्ध में जारी सुसंगत विधिक प्रावधानों एवं आदेशों के अनुसार समय-समय पर समुचित अधिकारी को सूचना भी प्रस्तुत करनी होगी।
- 25. उपरोक्त शर्तों की पालना करने तथा भवन में आवश्यक प्रावधान किये जाने पर एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी होने पर ही अग्निशमन धरोहर राशि, अन्य अमानत राशि की बैंक गारंटी लौटाई जावेगी।

नगर विकास न्यास, कोटा दिनांक :--/03/2016

क्रमांक :- एफ ७/ही०टी०पी०/२०१६/ प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- अति०मुख्य अभियंता, नगर विकास न्यास, कोटा। 1.
- उप सचिव 1/11/11, नगर विकास न्यास, कोटा 2
- वरिष्ठ नगर नियोजके नगर विकास न्यास, कोटा 3.
- संयुक्त श्रम आयुक्त, करेर्स्ट्रेट परिसर, कोटा को सूचनार्थ। 4.
- मुख्य लेखाधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा 5.
- अधिशाषी अभियन्ता 1/11/111/1V को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को भी समय-समय पर जांच हेतु निर्देशित करे। 6.
- उप नगर नियोजक, नगर विकास भ्यास, कोटा 7.
- सहायक नगर नियोजक, नगर विकासे त्यास, कोटा 8.
- तहसीलदार प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगर विकास न्यास, कोटा 9.
- वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा 10
- ड्राईंग शाखा को रिकार्ड हेतु। 11.

र्ष् नगर नियोजक जार विकास न्यास, कोटा

Scanned by CamScanner



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ ७/डी०री०/२०१७/ १९५५ - ७३

दिनांक :-*16*/03/2017

विमित्तः

मैसर्स एपेक्स बिल्डटैक A-826, इन्द्रा विहार, कोय।

विषय :- भूखण्ड सं० ३(कॉर्नर), बालाजी मार्केट योजना (व्यवसायिक) कोय हेतु द्वितीय चरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 28/6/2016

कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ ७/डीरीपी/२०१६/३१५८-६९ दिनांक ११/४/२०१६ द्वारा प्रेषित मानचित्र के अनुसार प्रयम चरण में स्टिल्ट + 1 की (अधिकतम 8.0 मीटर ऊंचाई में) स्वीकृति जारी की गयी थी। प्रयम चरण की स्वीकृति अनुसार निर्माण पाये जाने पर प्रथम तल से ऊपर के मानचित्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम स्वीकृति दिये जाने का उल्लेख किया गया था। इसके क्रम में आप द्वारा पत्र दिनांक 28/6/16 द्वारा मानचित्र प्रस्तुत कर द्वितीय चरण की शेष स्वीकृति चाही गई है।

कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार स्टिल्ट + 1 मंजिल का निर्माण कार्य प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार पाये जाने पर भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14/1/16 व 19/09/16 के निर्णय अनुसार द्वितीय चरण में द्वितीय तल से 6 वीं मंजिल तक कुल स्टिल्ट + 6 मंजिल (अधिकतम स्टिल्ट + 18 मी. ऊंचाई व कुल 23.6 मी. ऊंचाई) की भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्माण पूर्ण होने पर अधिवास प्रमाण-पत्र सम्ब हेतु मौके पर वास्तविक निर्माण के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य नियम व शर्ते पूर्व पत्र दिनांक ११/४/२०१६ अनुसार यथावत् रहेंगी।

नगर विकास न्यास, कोटा

दिनांक :- /03/2017

क्रमांक :- एफ र/डी०र्च०पी०/२०१७/

प्रतिलिपि :-

- अति०नुख्य अभियेत्।/अधीक्षण अभियंता बगर विकास न्यास, कोय।
- 2. उप संचिद्र 1/11/111, र्ज़गर विकास न्यास, कोटा
- वरिष्ठ बगर बियोजक, र्जगर विकास न्यास, कोय
- मुख्य लेखाधिकारी, नगर दिकास न्यास, कोय
- संयुक्त श्रम आयुक्त, कलेक्ट्रेर परिसर, कोय को सूचनार्थ।
- अधिशाणी अभियला प्रयाप्तर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कबिष्ठ अभियंता को भी समय-समय पर जांच हेतु निर्देशित करे।
- 7. उप बगर वियोजक, नगर विकासे न्यास, कोय
- सहायक नगर नियोजक, नगर विकोस न्यास, कोय
- तहसीलदार प्रथम,द्वितीय,तृतीय, बगर रिकास न्यास, कोय
- 10. दरिष्ट विधि अधिकारी, बगर विकास न्यास, कोय
- ा हाईग शाखा को रिकार्ड हेत्।

12. गार्ड फाईल

वरिष्ठे लगर नियोजक नगर विकोस न्यास, कोटा

S Pareck ji 1-8-2015 (464)